रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 27, 2017/फाल्गुन 8, 1938

No. 572] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 27, 2017/PHALGUNA 8, 1938

श्रम और नियोजन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 638(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और "राष्ट्रीय कैरियर सेवाओं" की स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) में भारत की संचित निधि से व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों के लिए, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तारीख 27 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगें।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी, जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हैं, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार

नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगा हो; या

(vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या

(vii) किसान फोटो पासबुक ; या

(viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(1) क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से स्कीम के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 27 फरवरी, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) स्कीम फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लाक या तहसील या ताल्लुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, श्रम और नियोजन मंत्रालय से उसके क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा स्कीम के फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरों के साथ श्रम और नियोजन मंत्रालय के क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी के पास अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. डीजीई-एम-25015/1/2017/डीबीटी-आधार अधिसूचना]

प्रवीण श्रीवास्तव, उप-महानिदेशक (नियोजन)

C-51

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 638(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Scheme of "National Career Services" (hereafter referred to as the Scheme) involves expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: --

1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit under the Scheme, who do not possess Aadhaar Number or are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing benefit under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 27th February, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming UIDAI registrar themselves :

Provided that, till the Aadhaar is assigned to such beneficiary of the Scheme, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:-

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the Scheme to beneficiaries, the Ministry of Labour and Employment through Regional Employment Officer or authorised Officer shall make all the required arrangements including following, namely :-

(1) Wide publicity through media and individual notices through Regional Employment Officer or authorised Officer shall be given to beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 27th February, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of the Scheme are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Labour and Employment through the Regional Employment Officer or authorised Officer is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar themselves and the beneficiaries of the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the

proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the Regional Employment Officer or the authorised Officer of the Ministry of Labour and Employment.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. DGE-M-25015/1/2017/DBT-Aadhaar Notification]

PRAVIN SRIVASTAVA, Dy. Director General (Employment)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 639(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और राष्ट्रीय कैरियर सेवा केन्द्रों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कार्यान्वित की जाने वाली "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नौकरी की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को कोचिंग, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कल्याण स्कीम के अधीन प्रशिक्षुओं को वृत्तिका (तत्कालीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए कोचिंग-सह-मार्गदर्शन)" की स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने वाले किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों के लिए, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु जो स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तारीख 27 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगें।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार श्रम और नियोजन मंत्रालय के उप-क्षेत्रीय नियोजन अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् एसआरईओ कहा गया है), जो किसी व्यष्टि से आधार संख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार संख्या के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या ताल्लुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां श्रम और नियोजन मंत्रालय के एसआरईओ से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा :

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए स्कीम का फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ; और

(ख) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या

(ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

C-52

(v) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी पहचान प्रमाणपत्र, जिस पर फोटो लगा हो; या

(vi) डाक विभाग द्वारा जारी पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या

(vii) किसान फोटो पासबुक ; या

(viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच, श्रम और नियोजन मंत्रालय के एसआरईओ द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए श्रम और नियोजन मंत्रालय अपने एसआरईओ के माध्यम से सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(1) एसआरईओ के माध्यम से स्कीम के फायदाग्राहियों के बीच मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में तारीख 27 फरवरी, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध आधार नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी ।

(2) स्कीम फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लाक या तहसील या ताल्लुक में आधार नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, श्रम और नियोजन मंत्रालय से उसके एसआरईओ के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करने की अपेक्षा की जाएगी तथा स्कीम के फायदाग्राही, अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर श्रम और नियोजन मंत्रालय के एसआरईओ के पास या इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराए गए वैब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर कर सकेंगे।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होगी ।

[फा. सं. डीजीई-एम-25015/1/2017/डीबीटी-आधार अधिसूचना]

प्रवीण श्रीवास्तव, उप-महानिदेशक (नियोजन)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 639(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Scheme of "Stipend to Trainees under the Scheme of Welfare for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes Job-seekers through Coaching, Guidance and Vocational Training implemented by the National Career Services Centres for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Erstwhile Coaching cum Guidance Centre for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes)" (hereinafter referred to as the Scheme) involves expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit under the Scheme, who do not possess Aadhaar Number or are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing benefit under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 27th February, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per Section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through Sub-Regional Employment Officer(hereinafter referred as the SREO) which requires an

individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through SREO is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India registrar themselves :

Provided that, till the Aadhaar is assigned to such beneficiary of the Scheme, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by the Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by the SREO designated by Ministry of Labour and Employment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the Scheme to beneficiaries, the Ministry of Labour and Employment through the SREO shall make all the required arrangements including following, namely :-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the SREO shall be given to beneficiaries of the Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 27th February, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of Scheme are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Labour and Employment through the SREO is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves and the beneficiaries of the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the SREOs of Ministry of Labour and Employment or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and the Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. DGE-M-25015/1/2017/DBT-Aadhaar Notification]

PRAVIN SRIVASTAVA, Dy. Director General (Employment)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2017

का.आ. 640(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है ;

और, भिन्न रूप से योग्यजन के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा स्कीम (विकलांगों के लिए तत्कालीन व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र) के अधीन, नि:शक्त व्यक्ति अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के अधीन परिभाषित नि:शक्त व्यक्तियों के लिए वृत्तिका स्कीम (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) में भारत की समेकित निधि से व्यय सम्मिलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात् :--

1. (1) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के पात्र किसी व्यक्ति से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्यांक के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

C-53

(2) स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को, जिनके पास आधार संख्यांक नहीं हैं या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, परंतु स्कीम के अधीन लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं 27 फरवरी, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार है और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (सूची www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेंगे।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम, 12 के अनुसार उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय, जिसे किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, से ऐसे फायदाग्राहियों के लिए नामांकन सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो वहां उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय से भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या स्वयं रजिस्ट्रार, भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है।

परंतु यह कि स्कीम के ऐसे फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक, स्कीम के अधीन ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन फायदा प्रदान किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) (i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप ; या

(ii) नीचे पैरा 2 के उपपैरा (2) में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या पत्र; या (iii) पासपोर्ट; या (iv) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (v) किसी शासकीय पत्र शीर्ष पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी फोटो वाला पहचान प्रमाणपत्र; या (vi) डाक विभाग द्वारा जारी किया गया नाम व फोटो वाला पता पत्र; या (vii) किसान फोटो पासबुक; या (viii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की इस प्रयोजन के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा पदाभिहित उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) द्वारा जांच की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेंगे जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात् :-

(1) मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार, तथा उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से वैयक्तिक सूचनाएं स्कीम के फायदाग्राहियों को दी जाएंगी जिससे कि उनको स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाया जा सके और उन्हें अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों पर आधार के लिए स्वयं को 27 फरवरी, 2017 तक नामांकित करवाने के लिए सलाह दी जा सके, यदि उनका पहले से नामांकन नहीं किया गया है तथा उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी।

(2) यदि स्कीम के फायदाग्राही, नजदीकी स्थान जैसे ब्लाक या तहसील या तालुक में नामांकन केंद्रों की अनुपलभ्यता के कारण नामांकन कराने में असमर्थ हैं तो उप निदेशक अथवा सहायक निदेशक (रोजगार) के माध्यम से श्रम और रोजगार मंत्रालय से भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके अथवा स्वंय भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का रजिस्ट्रार बनाकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करना अपेक्षित है तथा स्कीम के फायदाग्राही श्रम और रोजगार मंत्रालय के उप निदेशक या सहायक निदेशक (रोजगार) के पास पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे देकर अथवा इस प्रयोजनार्थ प्रदान किए गए वेबपोर्टल के माध्यम से नामांकन हेतु अपने अनुरोध का रजिस्ट्रीकरण करें।

3. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. डीजीई-एम-25015/1/2017/डीबीटी-आधार अधिसूचना]

प्रवीण श्रीवास्तव, उप-महानिदेशक (नियोजन)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2017

S.O. 640(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Scheme of "Stipend to Persons with Disabilities defined under the Right of Person With Disabilities (RPwD) Act, 2016 under the Scheme of National Career Services Centres for Differently Abled (Erstwhile Vocational Rehabilitation Centre for Handicapped)" (herein after referred to as the Scheme) involves expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive benefit under the Scheme, who do not possess Aadhaar Number or are not yet enrolled for Aadhaar, but are desirous of availing benefit under the Scheme are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 27th February, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry of Labour and Employment through Deputy Director or Assistant Director (Employment) which requires an individual to furnish Aadhaar is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Ministry of Labour and Employment through Deputy Director or Assistant Director (Employment) is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves :

Provided that, till the Aadhaar is assigned to such beneficiary of the Scheme, benefit under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following identification documents, namely:—

(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2 below; and

(b) (i) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (ii) Permanent Account Number Card issued by the Income Tax Department; or (iii) Passport; or (iv) Driving License issued by Licensing authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vi) Address card having Name and Photo issued by the Department of Posts; or (vii) Kisan Photo Passbook; or (viii) any other document as specified by the State Government or Union territory Administration :

Provided further that the above documents shall be checked by the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) designated by Ministry of Labour and Employment for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefit under the Scheme to the beneficiaries, the Ministry of Labour and Employment through the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) shall make all the required arrangements including following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) shall be given to beneficiaries of Scheme to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 27th February, 2017 in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of the Scheme are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Tehsil or Taluka, the Ministry of Labour and Employment through the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves and the beneficiaries of the Scheme may register their request for enrolment by giving their name, address, mobile number and other details

C-54

specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with the Deputy Director or the Assistant Director (Employment) of Ministry of Labour and Employment or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. DGE-M-25015/1/2017/DBT-Aadhaar Notification]

PRAVIN SRIVASTAVA, Dy. Director General (Employment)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.02.27 21:47:45 +05'30'